5/2/25

पत्रावली पेश हुई। वकील अभि पक्ष उप.। प्रकरण में दौरान परिवादी के कथन लिया कि वाद को आगे चलाना नहीं चाहते। वकील वादी ने अर्जी पेश किया दस्तावेज वापस लेने। अतः वकील वादी के अनुरोध पर वाद वापस लेने पेश के खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार होकर बाद कार्यवाही अभिलेख अनुरूप हो। निर्णय आज दिनांक 5/2/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता

[illegible] (प्र.) सीकर